

विषय—

हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की वर्ष 2021-22 के वेतन में से आयकर का निर्धारण/कटौती करने बारे।

क्या

1. मुख्य मंत्री जी के मुख्य प्रधान सचिव/प्रधान सचिव/सलाहकार/अतिरिक्त प्रधान सचिव/प्रधान विशेष कार्यकारी अधिकारी/विशेष कार्यकारी अधिकारी-I-II के विशेष वरिष्ठ सचिव/वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव।
2. मंत्रीगण/मुख्य संसदीय सचिव तथा संसदीय सचिव के विशेष वरिष्ठ सचिव/वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव।
3. मुख्य सचिव के निजी सचिव।
4. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/आयुक्त एवं सचिवों तथा विशेष सचिवों के वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव।
5. सभी संयुक्त सचिवों/उप सचिवों/अवर सचिवों के निजी सहायक।
6. हरियाणा सिविल सचिवालय की सभी शाखाओं के अधीक्षक/पुस्तकाध्यक्ष/उप-अधीक्षक।
7. हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यरत सभी जिला न्यायवादी/उप जिला न्यायवादी/सहायक न्यायवादी/लेखा अधिकारी/अनुसन्धान अधिकारी।

उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देगे?

लेखा शाखा द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के वेतन से आयकर का निर्धारण करके कटौती की जानी है। अतः अनुरोध है कि अपने अधीन कार्य कर रहे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में ला दें कि वे आयकर में छूट लेने के लिये पी0एल0आई/एल0आई0सी0/पी0पी0एफ/एन0एस0सी0/भवन निर्माण ऋण/ब्याज पर राहत@School/College Tuition fee, Sukana Samriddhi इत्यादि का विवरण संलग्न प्रोफार्मा में भर कर लेखा शाखा में दिनांक 06.09.2021 तक प्रस्तुत करें। जो अधिकारी/कर्मचारी किराये के मकान में रहते हैं उनका प्रमाण के तौर पर एक महीने की रसीद व rent Agreement तथा मकान मालिक का पैनकार्ड की फोटो प्रति अनिवार्य होगी। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि एल.आई.सी./पी.पी.एफ./एन.एस.सी./भवन निर्माण ऋण/ब्याज पर राहत/School/College Tuition fee, Sukana Samriddhi इत्यादि की दिनांक 01.04.21 के बाद की गई अदायगी की फोटो प्रति भी इस वर्ष के आयकर निर्धारण करने के लिए लेखा शाखा को प्रस्तुत करें।

*S. Kabir*  
अधीक्षक लेखा

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार। *SP*

office Phone No. 0172-2740001,226,326 RAX-5511

Email-superintendent1@gmail.com

सेवा में

1. मुख्य मंत्री जी के मुख्य प्रधान सचिव/प्रधान सचिव/सलाहकार/अतिरिक्त प्रधान सचिव/प्रधान विशेष कार्यकारी अधिकारी/विशेष कार्यकारी अधिकारी-I-II के विशेष वरिष्ठ सचिव/वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव।
2. मंत्रीगण/मुख्य संसदीय सचिव तथा संसदीय सचिव के विशेष वरिष्ठ सचिव/वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव।
3. मुख्य सचिव के निजी सचिव।
4. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/आयुक्त एवं सचिवों तथा विशेष सचिवों के वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव।
5. सभी संयुक्त सचिवों/उप सचिवों/अवर सचिवों के निजी सहायक।
6. हरियाणा सिविल सचिवालय की सभी शाखाओं के अधीक्षक/पुस्तकाध्यक्ष/उप-अधीक्षक/शाखा इन्चार्ज।
7. हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यरत सभी जिला न्यायवादी/उप जिला न्यायवादी/सहायक न्यायवादी/लेखा अधिकारी/अनुसन्धान अधिकारी।